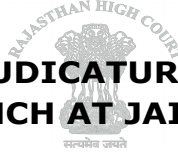




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil First Appeal No. 236/2020

1. Hemlata W/o Late Satyanarayan, Age - 39 Years
 2. Kailash Prasad S/o Ramgopal, ("Since Deceased") Deleted
 3. Keshar Devi W/o Kailash Prasad, Age - 69 Years,
 4. Chanchal D/o Late Satyanarayan, Age - 19 Years,
 5. Ritik S/o Late Satyanarayan, Age - 16 Years,
 6. Khushi D/o Late Satyanarayan, Age - 10 Years,
(No. 5 & 6 Are Minor Through Their Natural Guardian &
Mother Smt. Hemlata)
- All Resident Of - Jaal Walo Ki Dhani, Deedwana, Tehsil
Lalsot, District Dausa.

----Plaintiffs/Appellants

Versus

1. Jaipur Vidhyut Vitran Nigam Limited Through Chairman,
Head Office At Vidhyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur.
2. Assistant Engineer, A-II, Jaipur Vidhyut Vitran Nigam
Limited, Deedwana, Tehsil Lalsot District Dausa.

----Defendants/Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Kamal Kumar Gupta, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Jaivardhan Singh Shekhawat, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

21/04/2026

1. अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा यह दीवानी प्रथम अपील धारा-96 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश लालसोट, जिला दौसा (राज.) (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा दीवानी मूल वाद संख्या-13/2015, हेमलता व अन्य बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2019 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।



2. अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा 11 केवी विद्युत पोल से जुड़ा स्टेग वायर वादीनी/अपीलार्थिया के पति के शरीर से छू जाने के कारण उसमें प्रवाहित विद्युत करंट से वादीनी/अपीलार्थिया संख्या-1 के पति **सत्यनारायण** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 30,00,000/- रुपये** क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु वाद पत्र **अन्तर्गत धारा 1 (ए) फेटल एक्सीडेंट एक्ट, 1855** में प्रस्तुत किया गया था। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त वाद पत्र का निस्तारण करते हुए वादीगण को **कुल 6,50,000/- रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत दीवानी प्रथम अपील, अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण का तर्क रहा है कि वक्त घटना मृतक खेतीबाड़ी, पशुपालन व दुग्ध डेयरी का कार्य कर प्रतिमाह 15,000/- रुपये मासिक आय अर्जित करता था, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की कोई आय निर्धारित नहीं कर एकमुश्त राशि दिलवाई जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि मृतक की आय तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई जाकर त्रुटि कारित की गयी है। अतः अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता जयुपर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से अपीलार्थीगण/वादीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध किया गया तथा विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से संस्थित की गयी दीवानी प्रथम अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया गया :-



- **Balram Prasad Vs. Kunal Saha & Ors.** reported in **(2014) 1 Supreme Court Cases 384 &**
- **Raman Vs. Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited & Anr.** reported in **(2014) 15 Supreme Court Cases 1.**

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 29.01.2015 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को 40 वर्ष आयु का होना बताते हुए खेतीबाड़ी, पशुपालन व दूध डेयरी का कार्य कर प्रतिमाह 15,000/- रुपये की आय अर्जित करना बताया गया है, किन्तु अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से मृतक की आय के संबंध में कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की कोई आय निर्धारित नहीं कर आय की क्षति, दाम्पत्य सुख, अंतिम संस्कार आदि मदों में एकमुश्त 6,50,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है।

7. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय का ध्यान न्यायिक दृष्टांत **Balram Prasad** (उपरोक्त) व **Raman** (उपरोक्त) की ओर आकर्षित करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण को दिलवाई गयी एकमुश्त राशि को उचित बताया गया तथा कथन किया गया कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में पारित मतानुसार न्यायालय द्वारा एकमुश्त राशि भी दिलवाई जा सकती है।

8. इस संबंध में हमारा मानना यह है कि दुर्घटना में मृत/आहत व्यक्ति "just, fair and reasonable" (सम्यक, उचित और न्यायसंगत) क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। वर्तमान में जहां मृतक/आहत की आय साबित नहीं हो वहां न्यूनतम मजदूरी के आधार पर क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए क्षतिपूर्ति निर्धारित किया जाना आवश्यक व उचित प्रतीत होता है, जिससे कि मृतक के परिजनों को सम्यक, उचित व न्यायसंगत राशि प्राप्त हो सके।

9. घटना दिनांक 29.01.2015 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक सत्यनारायण को खेतीबाड़ी, पशुपालन व दूध डेयरी का कार्य कर प्रतिमाह 15,000/- रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु मृतक



की आय के संबंध में अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गयी है। यह सुस्थापित विधि है कि जिन मामलों में आहत/मृतक की आय प्रमाणित नहीं हो, वहां आहत/मृतक को वक्त घटना अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उनकी आय निर्धारित की जाएगी। वक्त घटना मृतक को खेतीबाड़ी व दूध डेयरी का कार्य करना बताया गया है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय, वक्त घटना मृतक के कार्य की प्रकृति तथा घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक होना मानते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी आय निर्धारित किया जाना उचित समझती है। वक्त घटना अकुशल श्रमिक की दैनिक आय 197/- रुपये, तदनुसार मासिक आय $197 \times 30 = 5,910/-$ रुपये होती है। वक्त घटना मृतक को 40 वर्ष की आयु का होना बताया गया है। चूंकि वक्त घटना मृतक 40 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार 5,910/- रुपये का 40 प्रतिशत 2,364/- रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 8,274/- रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

10. वक्त घटना मृतक पर कुल छः आश्रित बताए गये हैं। ऐसी स्थिति में वक्त घटना मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/4$ भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार निर्धारित मासिक आय 8,274/- रुपये का $1/4$ भाग 2,069/- रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 6,205/- रुपये होती है। वक्त घटना मृतक को 40 वर्ष आयु का होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की 40 वर्ष की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 15 का गुणक लगाया



जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 6,205/— रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण/वादीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति $6,205 \times 12 \times 15 = 11,16,900/—$ रुपये होती है जो अपीलार्थीगण/वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की पत्नी, माता—पिता तथा बच्चों को कंसोर्टियम की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहलू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक के प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। ऐसी स्थिति यह न्यायालय मृतक की पत्नी अपीलार्थिया संख्या—1 को “स्पाउस कंसोर्टियम” की मद में 40,000/— रुपये, मृतक की माता अपीलार्थिया संख्या—3 को “फिलियल कंसोर्टियम” की मद में 40,000/— रुपये तथा मृतक के बच्चों अपीलार्थी संख्या—4 लगायत 6 को “पैरेण्टल कंसोर्टियम” की मद में प्रत्येक को 40,000/— रुपये (कुल 2,00,000/— रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं। मृतक के पिता अपीलार्थी संख्या—2 कैलाश प्रसाद की मृत्यु अपील लंबित रहने के दौरान पूर्व में हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मृतक के पिता अपीलार्थी संख्या—2 को कंसोर्टियम की मद में कोई राशि दिलवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण को अंतिम संस्कार व सम्पदा की हानि के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः अंतिम संस्कार की मद में तथा सम्पदा की हानि के मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उपरोक्त मदों में 15,000—15000/— रुपये (कुल 30,000/— रुपये) की राशि अपीलार्थीगण/वादीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।



13. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/वादीगण निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	11,16,900 /—
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 2,00,000 /—
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000 /—
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		13,46,900 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		6,50,000 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		6,96,900 /—

14. तदनुसार अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह दीवानी प्रथम अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण को **6,50,000 /— रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **13,46,900 /— रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण/वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

15. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर वाद दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण/वादीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

16. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

17. तदनुसार यह दीवानी प्रथम अपील निस्तारित की जाती है।

18. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J